न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:- 29/2023 तारीख रजू:-10.03.2023

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

पूरनसिंह महर पुत्र कल्याण सहाय जाति मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम

(वादी)

बनाम

1. कुन्जीलाल पुत्र कन्नू
2. कलुवा पुत्र कन्नू
3. पप्पू पुत्र रामेश्वर
4. प्रीतम पुत्र रामेश्वर
5. मुकेश पुत्र कन्नू
6. हजारी पुत्र धन्या
7. मोहनलाल पुत्र सन्तया
8. रामबाई पत्नि स्व0 सन्तया
9. सर्वोदेवी पुत्री सन्तया
10. धारासिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह
11. नाहरसिंह पुत्र स्व0 अमरसिह
12. मनीषा पुत्री स्व0 अमरसिह नाबालिग जरिये संरक्षक शिमला देवी पत्नि स्व0 अमरसिह
13. शिमला देवी पत्नि स्व0 अमरसिंह

समस्त जातियान जोगी निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

उपस्थिति:- श्री हंसराम गुर्जर एड0 वादी

निर्णय दिनांक:- 25.06.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पाडला की आराजी ख0नं0 1340 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 में वादी पूरनसिंह हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी के नाम हिस्सा 1/5 की खातेदारी दर्ज है। बकिया हिस्सा के प्रतिवादी नं0 01 ता 06 व प्रतिवादी नं0 07 ता 13 सहखातेदार हैं। वादी की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है। खातेदारी [illegible] हो गया है। उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस उसके पुत्र, पुत्री, बेवा है। वा[illegible] हिस्से की भूमि में जौ की फसल काश्त की है। प्रतिवादीगण, वादी की [illegible] ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 में [illegible] की भूमि हिस्सा 1/5 में [illegible] करने में रूकावट, मजाहमत पैदा करते है तथा आये दिन झगड़ा [illegible]साद को तैयार रहते है [illegible] पर विवाद करते हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

बॉका दिनांक 08.03.2023 को प्रतिवादीगण से कहा कि तहसील टोडाभीम चलकर मुताबिक खातेदारी अलग खाता कायम कराने को कहा तो वे इस पर इन्कार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी है कि तुझे काश्त नहीं करने देंगे। तथा तुम्हारे हिस्से की भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर पक्की बाउण्ड्री वाल का निर्माण करेंगे। वादी ने इनको काफी समझाया लेकिन नहीं माने, इसलिये यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादपत्र बावत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि ग्राम पाडला खालसा की भूमि ख0नं0 1340 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 ग्राम पाडला खालसा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी में तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बटवारा प्रस्ताव तलब किये जाकर बाद प्राप्त मुताबिक बटवारा प्रस्ताव दावा फाईनल डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा बाद बहस व सुनवाई दिनांक 22.08.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम पाडला खालसा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	पूरण सिंह महर पुत्र कल्याण सहाय जाति मीना सा.देह	1340/1 1370/1476/1	0.08 है0 0.02 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.10 है0
2	कुन्जीलाल, कलुवा, मुकेश पि0 कन्नू हि.ब. 1/4, पप्पू, प्रीतम पि0 रामेश्वर हि.ब. 1/4, हजारी पुत्र घन्या हि. 1/4, मोहनलाल पुत्र शान्तया, सर्वो देवी पुत्री शान्तया, रामबाई पत्नि शान्तया हि.ब. 3/16, धारासिंह, नाहरसिंह पि0 अमरसिह, मनीषा पुत्री अमरसिह, शिमला देवी पत्नि स्व0 अमरसिह हि.ब. 1/16, जाति जोगी सा.देह खातेदार	1340 1340/2 1340/1476/2	0.32 0.02 0.07
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.41 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषि[illegible]ता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को [illegible] है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही [illegible]

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायाल[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
टोडाभीम, जिला-करौली